

## तहसील हरिद्वार, जनपद हरिद्वार

### कार्यालय उप निबन्धक हरिद्वार ।

उत्तर प्रदेश स्टाफ (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-289/XVII(9)/स्टाफ-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून दिनांक:-28.10.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के उप जिला हरिद्वार के उप निबन्धक कार्यालय में नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तर्ण हेतु न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक:-01 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होंगी ।


### कार्यालय कलक्टर, हरिद्वार ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1:-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड, शासन देहरादून ।
- 2:-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3:-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4:-जिला निबंधक, हरिद्वार ।
- 5:-जिला स्टाफ अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ।
- 6:-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार ।
- 7:-सब रजिस्ट्रार हरिद्वार ।
- 8:-उप जिलाधिकारी हरिद्वार ।
- 9:-तहसीलदार हरिद्वार ।

(डी० सँस्थित पाण्डित्यन)  
आई०एन०एस०  
कलक्टर,हरिद्वार ।

  
01/11/14


  
(रवनीत श्रीमा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार ।

(डी० सँस्थित पाण्डित्यन)  
आई०एन०एस०  
कलक्टर,हरिद्वार ।

  
01/11/14


## तहसील हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	
			कृषि भूमि (₹ प्रति हेक्टेयर) लाख में	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	क	1- हर की पैड़ी 2- अपर रोड़ (हर की पैड़ी से शिव मूर्ति चौक तक) 3- बड़ा बाजार 4- जस्सा राम रोड़ 5- अपर रोड़ जोगिया मण्डी	3	4	5	6	7	8	9	
2	ख	1- भल्ला रोड़ 2- रेलवे रोड़ (शिवमूर्ति से देवपुरा चौक तक) 3- देवपुरा चौक से शंकर आश्रम तक 4- बिरला रोड़ 5- श्रवणनाथ नगर 6- कुशाघाट 7- श्रवणनाथ मठ	-	36000	46000	91500	75000	9500	8500	

  
(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	ख	8- मोती बाजार 9- विष्णु घाट 10- रामप्रसाद गली 11- रामलीला ग्राउण्ड 12- रामघाट 13- गऊघाट 14- हनुमान घाट 15- श्रवण घाट 16- नाई सोता 17- रोडी बेलवाला 18- भीमगोड़ा चैक पोस्ट से हर की पड़ी तक		36000	46000	91500	75000	9500	8500
3	ग	1- भैरव अखाड़ा 2- जोधामल रोड़ 3- रानीपुर मोड़ से विनायक होटल से आगे रैवले पुल तक 4- निरंजनी अखाड़ा 5- मायापुर 6- दूधवाशी चौक से भीमगोड़ा पोस्ट तक (खडखडी रोड़) 7- दिल्ली रोड़ (रानीपुर मोड़ से नया हरिद्वार पुल तक) 8- देवपुरा		26000	36000	78400	63500	9500	8500




(रवनीत चौमा)


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार ।


3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग	हरिद्वार कनखल रोड (शिवमूर्ति से नहर पुल तक)	हरिद्वार कनखल रोड (शिवमूर्ति से नहर पुल तक)							
	10- गुरुद्वारा रोड मेन बाजार (डाट मण्डी) कटहरा बाजार	गुरुद्वारा रोड मेन बाजार (डाट मण्डी) कटहरा बाजार							
	11- ललतारौ रोड (अपर रोड से मंगा पुल तक)	ललतारौ रोड (अपर रोड से मंगा पुल तक)							
	12- भारत माता मंदिर रोड (ऋषिकेश रोड से सप्तऋषि आश्रम तक)	भारत माता मंदिर रोड (ऋषिकेश रोड से सप्तऋषि आश्रम तक)							
	13- कटहरा बाजार	कटहरा बाजार							
	14- मेन बाजार	मेन बाजार							
	15- गुरुद्वारा रोड	गुरुद्वारा रोड							
	16- रेलवे रोड ज्वालापुर (पुलिस चौकी ज्वालापुर से सैक्टर-2 बैरियर तक)	रेलवे रोड ज्वालापुर (पुलिस चौकी ज्वालापुर से सैक्टर-2 बैरियर तक)	-	26000	36000	78400	63500	9500	8500
	17- रेलवे रोड (पुलिस चौकी से पंजाबी धर्मशाला तक)	रेलवे रोड (पुलिस चौकी से पंजाबी धर्मशाला तक)							
	18- शंकराचार्य चौक से सिंह द्वार चौक तक (बार्ड पास रोड)	शंकराचार्य चौक से सिंह द्वार चौक तक (बार्ड पास रोड)							
	19- आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक ज्वालापुर तक	आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक ज्वालापुर तक							
	20- आर्यनगर चौक से सिंहद्वार तक (कनखल रोड)	आर्यनगर चौक से सिंहद्वार तक (कनखल रोड)							
	21- सिंहद्वार चौक से कनखल बाजार तक	सिंहद्वार चौक से कनखल बाजार तक							
	22- चौक बाजार ज्वालापुर	चौक बाजार ज्वालापुर							

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


1	2	3	4	5	6	7	8	9
घ	1- जोगिया मण्डी (सुलग शौचालय से लोनिठिकी की जाने वाली सीढियों तक नीचे की ओर हर की पेड़ी के सामने का क्षेत्र) 2- ऋषिकुल, विद्यापीठ 3- नई बरसी (अन्तर्गत ऋषिकुल क्षेत्र) 4- पावन धाम रोड़ (ऋषिकेश रोड़ से बागरी नदी के पुल तक) 5- हरिद्वार ऋषिकेश रोड़ (जनपद हरिद्वार सीमा प्रारम्भ से दूधधारी चौक तक) 6- आर्य नगर चौक से पुल जटवाड़ा तक सिंह द्वार चौक से पुल जटवाड़ा तक (बाईं पास रोड़) 7- शंकर आश्रम से सिंहद्वार चौक तक (अवधूत मण्डल आश्रम रोड़) 8- महात्मा गांधी मार्ग (शंकराचार्य चौक से कनखल बाजार तक) 9- रामकिशन मिशन रोड़ (पुलिस थाने से बंगाली हास्पिटल तक) 10- जमना पैलेस कालोनी 11- गोविन्दपुरी 12- आवास विकास कालोनी 13- नया हरिद्वार 14- झण्डा चौक							
			18800	28800	68400	55500	9500	8500

  
 (रवनीत श्रीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	डू	1- पीठ बाजार 2- दूधधारी चौक से पंतदीप पार्क गंगा पुल तक 3- पंतदीप पार्क गंगा पुल के आगे से शकराचार्य चौक तक 4- दस रोड (चौक बाजार कनखल से आनन्दमयी आश्रम तक) 5- रानीपुर मोड़ से टिब्डी ग्राम तक 6- आर्यनगर चौक 7- विकास कालोनी 8- दस रोड़ (आनन्दमयी आश्रम से क्रेशर फेक्ट्री तक) 9- भोपतवाला कलां 10- खडखडी 11- बांगरो नदी 12- भीमगोजा 13- बी.एच.ई.एल. शिवालिक नगर तिराहे से होटल विनायक ग्रेन्ड तक 14- होटल विनायक ग्रेन्ड से सलेमपुर पुलिस चौक पोस्ट तिराहे तक 15- चौक बाजार 16- सब्जी मण्डी पुरानी ज्वालापुर								
				15200	25200	61600	50500	9500	8500	

  
 (रखनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	17- खन्नानगर 18- नन्द विहार 19- आदर्शनगर (अन्तर्गत अहमदपुर कडकक क्षेत्र) 20- राजलोक 21- सुभाषनगर (निकट शंकर आश्रम) 22- योगी विहार 23- मीना एन्क्लेव 24- शेखपुरा कनखल (नगणसीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगण क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों कालानियों में उल्लिखित नहीं है)	-	15200	25200	61600	50500	9500	8500
6	च 1- भोपलवाला खुर्द 2- सत्यम विहार 3- रानी गली 4- चक भूपलवाला 5- संगमपुरी उर्फ संघ कालोनी 6- निर्मला छावनी 7- इंदगाह रोड 8- सब्जी मण्डी नयी ज्वालापुर 9- आर्यनगर कालोनी 10- शारदानगर 11- गोल गुल्लद्वारा	-	11000	21000	54500	44500	9500	8500

  
 (स्थानीय चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	12- श्रीरामनगर 13- सन्देश नगर (कनखल) 14- हजारी बाग (कनखल) 15- सर्वप्रीय विहार 16- गुरुबक्श विहार 17- गुरुषोक्तम विहार 18- इन्दू एन्कलेव (शिवपुरा कनखल) 19- हनुमन्तपुरम् 20- विद्या विहार 21- सांत विहार 22- आनन्दमई पुरम् विहार 23- लक्सर रोड (दशरक्षक औषधालय से स्वयंवर पैलेस तिराहे तक) 24- रानीपुर ग्राम (न०पा० सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि न०पा० क्षेत्रों में वर्णित मोहल्लों/कालानियों में उल्लिखित नहीं है) 25- जगजीतपुर (न०पा०सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि न०पा० क्षेत्रों में वर्णित मोहल्लों/कालानियों में उल्लिखित नहीं है) 26- ललतारौ पुल रेलवे पुल भेल का सैक्टर-2 बैरियर तक (बिल्केशवर ज्वालापुर बार्डिंगस रोड)			11000	21000	54500	44500	9500	8500

  
 (स्वीकृत चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	च	27- कैनाल क्वार्टर्स 28- राजनगर 29- नन्दपुरी 30- मयूर विहार 31- आर0के0 एन्कलेव 32- लोधाभण्डी ज्वालपुर 33- शिवालिक नगर फेज-1 34- शिवालिक नगर फेज-2 35- शिवालिक नगर फेज-3 36- शिवालिक नगर फेज-4 37- शिवालिक नगर अन्तर्गत अन्य क्षेत्र 38- नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत भेत	-	11000	21000	54500	44500	9500	8500
7	छ	1- हरिपुर खुर्द 2- श्रद्धापुरम 3- दुधिया बन्द 4- मगीरथ नगर 5- इन्द्र इन्क्लेव 6- निर्मला छावनी क्षेत्र में इन्ड्रस्टियल एरिया कालोनी 7- पहाड़ी बाजार 8- बिल्केशवर कालोनी 9- लालजी वाला 10- लोधाभण्डी हरिद्वार	-	9500	19500	50200	41900	9500	8500

*(Signature)*  
(रवनीत चौगुला)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	छ	11- नन्दनगरी 12- नाथ नगर 13- श्रीनाथ नगर	-	95000	195000	502000	419000	95000	85000
8	ज	1- आदर्शनगर (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र) 2- दुर्गानगर 3- मुखिया गली 4- गंगा विहार 5- फ्रेंड्स कालोनी (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र) 6- पंतद्वीप 7- गंगाधर महादेव नगर 8- विष्णु गार्डन 9- न्यू विष्णु गार्डन 10- भगवन्तपुरम 11- शारद विहार कालोनी 12- जगदीशनगर (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र) 13- चण्डीघाट रोड (वैलवाला का भाग) 14- नई बस्ती (अन्तर्गत खड़खड़ी क्षेत्र) 15- सन्यास रोड 16- अर्जुन विहार 17- इस्लामनगर 18- श्यामनगर 19- रामनगर 20- न्यू रामनगर	-	80000	180000	464000	391000	95000	85000


*(रवनीत चौधा)*

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ज	23- शिवलोक 24- जगदीश नगर (अन्तर्गत टिबडी क्षेत्र) 25- अरिहन्त विहार 26- बसन्त विहार 27- जगधुघाट 28- चौहानान 29- लालमन्दिर कालोनी 30- शांति विहार 31- दयानन्द नगरी 32- घासमण्डी 33- ज्ञान लोक कालोनी							
9	झ	1- फ्रेंड्स कालोनी (अन्तर्गत आर्य नगर क्षेत्र) 2- ब्रह्मपुरी 3- उत्तम बस्ती 4- शिवपुरी 5- राजघाट 6- सतीघाट 7- दरसंगा रोड 8- कृष्णानगर कालोनी 9- न्यू कृष्णानगर 10- लाटोवाली 11- हनुमानगढ़ी		6700	16700	42800	36900	9500	8500

(रवनीत चौभा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार ।


9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	झ	12- भैरव मन्दिर रोड 13- ब्रह्म विहार 14- गुरुनानक कालोनी 15- कडुच्छ मौहल्ला 16- अलंकार विहार 17- ज्वालपुर (नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगरपालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों/कालानियों में उल्लिखित नहीं है) 18- हिमगिरी कालोनी 19- टिबड़ी 20- हजारी बाग 21- अम्बेडकर नगर 22- शास्त्रीनगर 23- अहबाब नगर 24- मीटमार्केट (नया-पुराना) 25- पांवधोई 26- कुत्तीमारान 27- झाड़ान 28- कस्सावान मौहल्ला 29- म्याना 30- होली		6700	16700	42800	36900	9500	8500

  
 (रक्षणीत चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	31- पुरबिया बस्ती 32- निर्मल बाग 33- जोगिया मण्डी (पहाड़ पर) 34- नीलखुदाना 35- पाण्डेवाला 36- सतीकुण्ड 37- वाटर वर्क्स कालोनी 38- सुभाषनगर (नगर सीमा के अन्तर्गत एवं नगर सीमा के बाहर)		6700	16700	42800	36900	9500	8500
10	1- काशीपुरा 2- रेलवे कालोनी 3- वाल्मीकि बस्ती कनखल हरिद्वार 4- रविदास बस्ती 5- आचार्यन 6- कुम्हारगढ़ा 7- पल्लेदारान 8- इमली 9- चौपटा 10- दादूबाग 11- अभिषेक नगर 12- तेलियान 13- कप्यरान		6100	16100	32300	35000	9500	8500

  
 (रक्षणीत चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार ।

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ज	14- शरीफनगर 15- कोटरवावा 16- कैतवाड़ा 17- हज्जावावा 18- भैदानियावा 19- मालियावा 20- घोसियावा 21- धीरवाली 22- मोचियावा 23- चाकलावा 24- गोपीचन्द्र कालोनी 25- देवतावा 26- वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर 27- राम रहीम कालोनी 28- लक्कड़हारवा 29- मौहल्ला डाट मण्डी 30- दलालावा 31- रामचन्द्रकांत 32- पीपलावा 33- पाटकवाड़ा 34- फिराहीडियावा 35- मेहतावा 36- अन्सारियावा								
			-	6100	16100	32300	35000	9500	8500	

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## तहसील हरिद्वार अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)								
			कृषि भूमि (₹ प्रति हेक्टेयर) लाख में	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)	
						दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान				
1	क	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	क	1- टिहरी विस्थापित क्षेत्र शिवालिक नगर 2- टिहरी विस्थापित क्षेत्र रानीपुर 3- जगजीतपुर (नगरपालिका सीमा के बाहर) 4- ज्वालापुर (नगरपालिका सीमा के बाहर) 5- हरिलोक कालोनी 6- जे०वी०जी० एन्कलेव 7- सीतापुर 8- रानीपुर 9- सिडकुल क्षेत्र 10- इन्द्रलोक आवासीय योजना	93.00	8500	18500	50900	43800	9500	8500		
2	ख	1- लक्सर रोड (स्वयंवर पैलेस तिराहे से डी०ए०वी० कॉलेज तक) 2- पुलिस चौकपोस्ट सलेमपुर तिराहे से राजा बिरकुल तक 3- रावली महदूद	57.00	6800	16800	43600	39700	9500	8500		



(रवनीत चौभा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ख	4- देवपुर मुस्ताहकम 5- सुल्तानपुर मजरी 6- बहादुराबाद 7- टिहरी विस्थापित क्षेत्र सलेमपुर 8- जमालपुर कला 9- जमालपुर खुर्द	57.00	6800	16800	43600	39700	9500	8500
ग	1- सलेमपुर महदूद (प्रथम) 2- सलेमपुर महदूद (द्वितीय) 3- आन्नेकी हेल्तमपुर 4- अतमलपुर बांगला 5- मनोहरपुर 6- दादपुर गोविन्दपुर 7- कांगंजी 8- सराय	46.00	5200	15200	39700	36800	9500	8500
घ	1- राजपुर 2- बांसवाली 3- सुसन नगर 4- भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिमपुर 5- भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईककड़ 6- टिहरी विस्थापित क्षेत्र भगतनपुर क्षेत्र	45.00	3900	13900	35300	32200	9500	8500
ङ	1- गाजीवाली 2- श्यामपुर नौआबाद	35.00	3300	13300	34100	30500	9500	8500

(रवनीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार ।



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	3- सजनपुर पीली 4- बेगमपुर 5- खेड़ली	35.00	3300	13300	34100	30500	9500	8500
6	1- जियापोता 2- अहमदपुर ग्रन्ट 3- अलीपुर इब्राहिमपुर	22.00	2900	12900	33000	29100	9500	8500
7	1- गाडोवाली 2- किशनपुर 3- रोहालकी किशनपुर	18.00	2600	12600	31000	27400	9500	8500
8	1- भिस्सरपुर मुस्तहकम 2- नूरपुर पंजनहेड़ी 3- अजीतपुर मुस्तहकम 4- देवपुर अहतमाल	17.00	2400	12400	29900	26800	9500	8500
9	1- खिन्जरपुर कलंजरा 2- सिर्गापुर 3- अजीतपुर अहतमाल 4- बहादपुर जट	16.00	2300	12300	29000	25500	9500	8500
10	1- भिस्सरपुर अहतमाल 2- हादीपुर 3- सिरसली 4- पूरणपुर साल्हापुर 5- मोहम्मदपुर अलीपुर	14.00	2200	12200	27500	24500	9500	8500

(रिजनीत चीमा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार ।

## तहसील हरिद्वार अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)								
			कृषि भूमि (₹ प्रति हेक्टेयर) लाख में	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	ग्राम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान				
1	क	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ख	1- आदर्श टिहरी नगर 2- पदार्था उर्फ धनपुरा 3- लालढांग 4- कटारपुर अलीपुर 5- फेरुपुर रामखैड़ा 6- मुस्ताफाबाद 7- नसीरपुर कलां 8- दीनारपुर 9- रायपुर दरेड़ा 10- समसपुर कटेवड़ 11- सहदेवपुर सहवाजपुर	22.00	3500	13200	33000	29600	9200	8200		
3	ग	1- डालूवाला भजवता 2- औरंगाबाद 3- सुभाष गढ़	16.38	2400	12100	29500	25000	9200	8200		

(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	ग	4- रसूलपुर भीठीबेरी 5- भोगपुर 6- गैडीखाता 7- सोहलपुर सिकरोडा 8- डालूवाला कलां 9- पीली पड़ाव 10- शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला 11- भवानीपुर जमालपुर 12- घमोली उर्फ खैरवाला	16.38	2400	12100	29500	25000	9200	8200
4	घ	1- पीलपुर 2- कासमपुर 3- मोमिनपुर 4- बहादुरपुर खुर्द 5- अलावलपुर 6- बोझाहेड़ी मोहिउद्दीनपुर 7- नगला खुर्द 8- संधीपुर 9- शाहपुर शीतला खेड़ा 10- मोहम्मदपुर कुन्हासी	16.00	2100	11800	27600	23800	9200	8200
5	ङ	1- फेरपुर कटिया 2- चांदपुर 3- जसपुर चमरिया 4- हादीपुर ग्रन्ट	15.30	1800	11500	26400	22500	9200	8200



(रवनीत चौभा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5- मोहम्मदपुर उर्फ टकामरी 6- मानूबास ग्रन्ट 7- दादूबास 8- जालूवाला खुर्द 9- गाढ़ 10- हजारग्रन्ट 11- कोटा मुराद नगर	15.30	1800	11500	26400	22500	9200	8200
6	1- रानीपुर 2- रणसुरा 3- मुकन्दपुर 4- आसफनगर ग्रन्ट 5- मोहम्मदपुर उर्फ झीवरहेड़ी 6- मुकरपुर 7- नसीरपुर उर्फ नस्तरपुर	15.00	1700	11400	24700	21300	9200	8200
7	1- कलजरा जदीद 2- बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर 3- टिककभपुर 4- नसीरपुर खुर्द 5- बादशाहपुर 6- कालूबास ग्रंट 7- मीरपुर मुवाजरपुर 8- कुतुबपुर 9- खालातीरा	13.50	1650	11350	23500	20200	9200	8200

(स्थानीय चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	ज	1- जशोधरपुर 2- रिवौरा ग्रन्ट 3- टान्डा बंजारा 4- राजपुर 5- रसूलपुर 6- तालिबाबाद 7- झबरपुर 8- जसवावाला 9- नलोवाला 10- दूधलादयालवाला	12.50	1550	11250	22100	18800	9200	8200
9	झ	1- लाहरपुर 2- पामरोवाली 3- तपझेवाली 4- मुइडीवाला 5- नौरंगाबाद 6- हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानी माजरा 7- शिव नगर 8- टिकौला जदीद 9- वाडी टीप 10- बाण गंगा नम्बर-2	11.50	1450	11150	22100	18800	9200	8200




(रकनीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार ।

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ	1- बुलकागंज 2- बाक्सोवाली 3- हरदासपुर उर्फ नयागंज 4- वनदेव उर्फ खुशहालपुर 5- प्रेमनगर 6- शेखवाला ग्रन्ट 7- रावणबास ग्रंट 8- काश्वोस 9- भुवापुर चमरावल 10- बिशनपुर झरडा मुस्तहकम 11- बिशनपुर झरडा अहतमाल 12- मीरपुर								
			10.50	1350	11050	20800	17700	9200	8200

  
 (रवनीत चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## सामान्य अनुदेशिका

1-	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य सड़क की चौड़ाई एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3-	<p><b>कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) कृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) कृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) कृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) 0.2 हैक्टेयर (2000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अक्षक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।</p>
4-	<p><b>अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>अकृषि भूमि/सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(1) अकृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) अकृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(3) अकृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(4) अकृषि भूमि 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर से दो गुना (200 प्रतिशत) होगा।</p>



(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

5-	<p><b>बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट का मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) बहुमंजिली इमारतों के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>
6-	<p><b>वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) :-</b></p> <p>(1) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक चौड़े व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>



(रवनीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।



	(3) भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित समान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(4) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु -उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेख पत्रों का मूल्यांकन लेख पत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।
8-	तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 2000 वर्गमीटर से अधिक भूमि सयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 2000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा केतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।
9-	किसी विलेख पर स्तम्भ शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
10-	औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावारसीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
11-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष/भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी सलॉन है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, दस वर्ष तक के भवन निर्माण पर क्षरण देय नहीं होगा।
12-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
13-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹800/- प्रति सेंटीग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
14-	भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर मूल्यांकन ₹20,000/- की दर से होगा।
15-	तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रस्थापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।
16-	किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एगूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

17-	तहसील हरिद्वार की औद्योगिक क्षेत्र की दरें प्रति वर्ग मीटर निम्न प्रकार होगी :-	हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र	बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र	सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र	अन्य औद्योगिक क्षेत्र
		₹9,000/-	₹8,500/-	₹7,500/-	₹7,000/-
18-	मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।				
19-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।				
20-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई त्रिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती हैं तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।				

**क्षरण सारणी**

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

*(हस्ताक्षर)*

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

## तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार

### कार्यालय उप निबन्धक रुड़की।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:—289 / XVII(9) / स्टाम्प—80 / 2009 वित्त अनुभाग—9 देहरादून दिनांक:—28. 10.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के उप जिला रुड़की के उप निबन्धक कार्यालय में नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तर्ण हेतु न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक:—01 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होंगी।



(डी0 सेंथिल पाण्डियन)  
आई0एण0एस0  
कलक्टर, हरिद्वार।

### कार्यालय कलक्टर, हरिद्वार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनाार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1:—प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
- 2:—महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3:—अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4:—जिला निबन्धक, हरिद्वार।
- 5:—जिला स्टाम्प अधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6:—सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7:—सब रजिस्ट्रार रुड़की।
- 8:—उप जिलाधिकारी रुड़की।
- 9:—तहसीलदार रुड़की।




(डी0 सेंथिल पाण्डियन)  
आई0एण0एस0  
कलक्टर, हरिद्वार।

(रविनीत चौमा) 11/11/14  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (Base Rate)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
						वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1.	क	1- सिविल लार्डन 2- सिविल लाइन्स मुख्य बाजार 3- जाद्वार रोड	—	40000	51000	128000	110000	9500	8500
2.	ख	1- सैन बाजार (नहर पुल से मछली बाजार तक) 2- चौक बाजार 3- गंग नहर पुल से रामपुर चुंगी 4- मलकपुर चुंगी से सोलानी पुल तक 5- रामनगर चौराहे से रामपुर रोड ब्लाक कार्यालय तक	—	30000	41000	122000	105000	9500	8500


  
(रवनीत चौमा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

3.	ग	1-मलकपुर लतीफपुर (क) सोलानीपुरम (ख) शीलकूज (ग) आदर्शनगर (घ) न्यू आदर्शनगर 2-पठानपुरा 3- लालकुर्ती	---	23000	34000	105000	95000	9500	8500
4.	घ	1- वैशाली मण्डम के सामने अशोक मार्ग तिराहे से रामनगर चुंगी तक 2- अनाज मंडी 3- बी.टी.गंज 4-सुभाष गंज 5- भागीरथी कुंज	---	21000	32000	95000	75000	9500	8500
5.	इ	1- पूर्वावली (गणेशपुर) 2- गणेशपुर (नहर पुल से रेलवे स्टेशन तक) 3- गणेशपुर (भालवीप चौक से रेलवे स्टेशन तक) 4- रामनगर	-	20000	31000	90000	70000	9500	8500


*AShu*  
(रवनीत चौमा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

6.	च						
	1- बैंक कालोनी (गणेशपुर)						
	2- कानूनगोयान						
	3- राजपूताना						
	4- सोत (पूर्वी- पश्चिमी)						
	5- पुष्पांजली विहार (गणेशपुर)						
	6- महावीर एन्कलेव (गणेशपुर)						
	7- गीतांजली विहार						
	8- बी०एस०एम० तिराहे से रामदयाल चौराहे तक (पुरानी रेलवे रोड )	---	17000	28000	85000	75000	9500
	9- बी०एस०एम० तिराहे से सब्जी मण्डी चौक तक (नई रेलवे रोड )						
	10- रामबाग कालोनी						
	11- नेहरूनगर						
	12- दयालबाग कालोनी						
	13- मछली बाजार से महस्त पेट्रोल पम्प तक						
	14- सुखदेव नगर						

3


  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाशिक्षारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

7.	छ							
	1-गणेशपुर भीतर नगर निगम 2-शेखपुरी भीतर नगर निगम 3-परिचमी अम्बर तालाब 4- चावमंडी 5- सैनिक कालोनी 6- हनुमान कालोनी 7- मकतूलपुरी 8- आवास विकास कॉलोनी 9- मथुरा विहार कॉलोनी 10- रांगा एन्कलेव (शेखपुरी) 11-रांगा एन्कलेव 12- यादवपुरी 13- संजय कालोनी 14- पुरानी तहसील 15-सलमान कालोनी(पुरानी तहसील) 16- प्रीत विहार कालोनी 17- स्टेट बैंक कालोनी 18- शिवम विहार (गणेशपुर) 19- आज्ञाद नगर 20- पूर्वा दीनदयाल	-	14000	25000	80000	70000	9500	8500
			4					

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

8.	जं	1- साकेत कालोनी 2- चन्द्रपुरी 3- पूर्वी अम्बर तालाब 4- रुडकी अन्दर हद्द	—	12000	23000	75000	65000	9500	8500
9	झ	1- गांधी नगर 2- गांधीनगर कालोनी 3- माहीग्राम 4- आज्ञाद नगर से पनियाला रोड पर संतोषी माता मंदिर तक 5- सती मोहल्ला 6- भारत नगर	—	11000	22000	62000	58000	9500	8500
10	ञ	1- मलकपुर लतीफपुर भीतर नगरनिगम	—	8000	19000	50000	40000	9500	8500

नोट :- रुडकी नगर निगम के भीतर की कृषि दर रुपये 95.00 लाख प्रति हैक्टयर होगी।

  
 (रक्नीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार



टाउन एरिया लण्डौरा की दरें

सामान्य दर (Base Rate)

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु०लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		शेर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतियोग	प्रथम श्रेणी (एकक)	द्वितीय श्रेणी (दोनों एकक / कच्चा)
1.	क	1. चौक बाजार वार्षीक बस्ती	-	5000	16000	40000	35000	9500	8500
2.	ख	1. हरिजन बस्ती 2. मालावाला हसनबाग 3. पठानान 4. अन्सारी मार्ग 5. बाहर किला 6. मौ०किला 7. गुजरवाडा 8. शिरासियान 9. अम्बेडकर कालोनी	-	4500	15500	36000	32000	9500	8500
3.	ग	1. लण्डौरा अन्य मोहल्ले	-	2500	17000	32000	30000	9500	8500

नोट : टाउन एरिया लण्डौरा के भीतर की कृषि दर रु०65.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगी।

## नगरपालिका मंगलौर की दरें

क्रमां०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) रु०लाख में	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (Base Rate)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
						वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (दोनी एकका / कच्चा)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	क	1. मंगलौर थाना से नहर पुल तक सड़क के दोनों तरफ 2. बस स्टैंड से लण्डौरा रोड पर (नगरपालिका की सीमा के अन्दर) 3. लण्डौरा रेलवे स्टेशन मार्ग व लण्डौरा रेलवे मार्ग 4. टण्डेरा रेलवे फाटक से नगला इमरती होते हुए रुडकी लक्सर मार्ग तक (लण्डौरा नगर पंचायत की सीमा तक)	—	9000	20000	45000	40000	9500	8500

ख	ग	घ	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.			1. टोली 2. बन्दरटोल (प्रथम व द्वितीय) 3. मौ०किला 4. सरावज्ञान 5. बहानान 6. मानकचौक 7. कारस्थान 8. इसलामनगर 9. लालबाजा 10. कटहेडा	-	7000	18000	40000	36000	9500	8500		
3.			1. हलका मजबता 2. बाहर किला (प्रथम व षष्टम) 3. पठानपुरा (प्रथम व द्वितीय) 4. मलकपुरा 5. पीरगढी 6. मलानपुरा 7. सराव अजीज 8. मिर्भान 9. सेनीपुरा उर्फ मालियान 10. खालसा 11. अन्य मोहल्ले	-	5000	16000	35000	30000	9500	8500		
4.			1. मंगलौर नगरपालिका	40.00	4500	15500	36000	30000	9500	8500		

नोट : नगर पालिका मंगलौर के भीतर की कृषि दर रु0 40.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगी।

नगर पंचायत झबरेजा की दरें

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुभंजतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1.	क	1. गंज व कुम्हारान 2. नई मण्डी 3. अम्बेडकर कालोनी (झबरेजा) 4. मुख्य सड़क (नारसन वाली से इकबालपुर वाली तक)	---	4500	15500	45000	36000	9500	8500
2.	ख	1. चौधरीयान 2. तेलघान 3. सहारनपुर रोड		4000	15000	40000	34000	9500	8500

3.	ग	1. छावनी 2. धोबीयान 3. शिव विहार		3600	14600	38000	32000	9500	8500	
4.	घ	1. हरिजनयान 2. बंजारन 3. गढी विहार 4. लौहारान 5. कुम्हारान व घेर 6. खरास 7. पुराना बाजार		3500	14500	34000	30000	9500	8500	
5.	ड	1. झबरेडा नगर पंचायत		25.00	3500	14500	36000	31000	9500	8500

नोट : नगर पंचायत झबरेडा के भीतर की कृषि दर रू0 25.00 लाख प्रति हैक्टेयर होगी।

परगना रुड़की के अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों की दरें


क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु०लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट (सुपर एरिया रु०प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (Base Rate)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु०प्रति वर्गमी०)	
						वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु०प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1.	क	1. गणेशपुर बाहर नगर निगम 2. शफीपुर 3. राजेन्द्र नगर	75.00	6000	17000	50000	40000	9500	8500
2.	ख	1. रामपुर मुस्तहकम 2. गुलाब नगर 3. श्यामनगर 4. काशीपुरी	60.00	13000	24000	62000	50000	9500	8500

3.	ग	1. मोहनपुरा मौहम्मदपुर 2. कर्नल एन्कलेव 3. हसन अलीपुर 4. साउथ सिविल लाईन 5. आकाशदीप एन्कलेव 6. मंदाकनी विहार 7. रतन का पूर्वा डबल फाटक 8. गोल भट्टा 9. शोखपुरी बाहर नगर निगम	55.00	10000	21000	60000	48000	9500	8500
4.	घ	1. रुड़की बाहर हदूद	55.00	5000	18000	42000	40000	9500	8500
5.	ङ	1. आसफनगर 2. सुनहरा 3. इन्द्रा विहार 4. अम्बेडकर कालोनी 5. सरस्वती विहार	45.00	7000	18000	42000	40000	9500	8500

*Handwritten signature*  
(रवनीत चौभा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

		6. मंगल विहार 7. नई बरसी 8. गोमती विहार 9. शास्त्रीपुरम 10. रामपुरम	45.00	7000	18000	42000	40000	9500	8500
6.	च	1. ठण्डेरा 2. अशोक नगर (ठण्डेरा) 3. कीर्तिनगर(ठण्डेरा) 4. विजयनगर(ठण्डेरा) 5. आदर्श शिवाजी नगर(ठण्डेरा) 6. राज विहार(ठण्डेरा) 7. देव एन्कलेव(ठण्डेरा) 8. डिफेंस कालोनी(ठण्डेरा) 9. मिलाप नगर(ठण्डेरा) 10. प्रदीप विहार 11. नागेन्द्र विहार 12. आर्य विहार	45.00	6200	17200	60000	48000	9500	8500

  
(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार



		13. सुभाषनगर 14. तल्हेडी 15. अशोक विहार 16. दर्पण कालोनी 17. शान्तरशाह 18. बढेडी राजपूतान 19. बावली कलंजरी 20. पंचायनपुर 21. बहादरपुर सैनी 22. शेरपुर 23. ब्रहमपुर	45.00	6200	17200	60000	48000	9500	8500
7.	छ	1. नमाला इमरती 2. बिझौली 3. टोडा कल्याणपुर मु0 4. बघेडी महावलपुर मु0 5. जलालपुर मु0 6. बेलडा मुस्तहकम 7. बेलडा अहतमाल	45.00	4000	15000	36000	30000	9500	8500


8.	ज	1. कान्हापुर मुस्ताकहम 2. बेलडी साव्हापुर 3. फिरोजपुर 4. रहमतपुर मुस्ताकहम 5. भारापुर मुस्ताकहम 6. भौरी मुस्ताकहम	45.00	3500	14500	42000	40000	9500	8500
9.	झ	1. केलनपुर 2. दौलतपुर 3. गोविन्दपुर वाजिदपुर 4. हलवाहेडी	40.00	3000	14000	32000	25000	9500	8500
10.	ञ	1. मलकपुर लतीफपुर बाहर नगर निगम 2. पाडली गुज्जर 3. खंजरपुर	37.00	7000	18000	42000	40000	9500	8500

परगना मंगलौर के अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों की दरें

क्र०सं 0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रू०लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रू० प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्गमी०)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1.	क	1. मंगलौर बाहर नगरपालिका	33.00	4000	15000	32000	26500	9500	8500
2.	ख	1. नारसन खुर्द 2. मखियाली दुन्दी 3. कुरडी 4. लिब्बरहेडी 5. मंजावली	33.00	3100	14100	28000	25000	9500	8500
3.	ग	1. कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां 2. लण्ढोरा बाहर नगरपालिका 3. कुलचन्दी	30.00	3000	14000	25000	21000	9500	8500

4.	घ	1. दहियाकी 2. कुआहेडी 3. शिमलौनी 4. मुडियाकी	28.00	3000	14000	29000	21500	9500	8500
5.	ङ	1. झबरेडी कला 2. झबरेडा बाहर नगर पंचायत	23.00	3200	14200	35000	28000	9500	8500
6.	च	1. लादपुर खुर्द 2. खानपुर 3. जैनपुर झंझडी	22.00	3800	14800	32500	26500	9500	8500
7.	छ	1. लाखनौता	22.00	2500	13500	35000	28000	9500	8500
8.	ज	1. शिकारपुर 2. भगवानपुर चन्दनपुर 3. थाथौला 4. पीरपुरा 5. कोटवाल आलमपुर 6. लाठरदेवा हूण 7. खुण्डी	20.00	2000	13000	25000	21000	9500	8500

		8. गदरजुडा 9. शेरपुर खेलमड 10. थिथकी कवादपुर 11. खेडाजट 12. सकौली	20.00	2000	13000	25000	21000	9500	8500
9.	झ	1. रामनगर	18.00	2100	13100	25000	21000	9500	8500

  
 (रवनीत चौभा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

परगना भगवानपुर के अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों की दरें

क0 सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है0) (रू0लाख में )	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रू0प्रति मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रू0प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रू0 प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू0 प्रति वर्गमी0)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	क	1. सलेमपुर राजपुतान 2. प्रेमनगर 3. विनीतनगर 4. हाईडिल कॉलोनी 5. कृष्णानगर 6. शास्त्रीनगर (रहीमपुर)	39.00	6000	17000	52000	40000	9500	8500

2.	ख	1. मतलबपुर	35.00	4000	15000	35000	27000	9500	8500
3.	ग	1. भगवानपुर 2. शाहपुर	32.00	7000	18000	52000	38000	9500	8500
4.	घ	1. करौन्दी 2. पुहाना 3. चौली शहाबुददीनपुर मुस्ताहकम 4. सालियर साह्यपुर मुस्ताहकम 5. खुब्बनपुर ततीफपुर 6. बन्दाखेडी 7. लकेशरी 8. नल्हेडी देहविरान 9. माधोपुर हजरतपुर 10. इब्राहिमपुर देह 11. किशनपुर जमालपुर	30.00	4000	15000	38000	31000	9500	8500

5.	ड	1. रायपुर 2. सिकन्दरपुर भैसवाल 3. पनिआला चन्दापुर	30.00	2500	13500	27500	24500	9500	8500
6.	च	1. रहीमपुर	30.00	2300	13300	38000	31000	9500	8500
7.	छ	1. नन्हेडा अनन्तपुर 2. लावा मुरतहकम 3. औरंगजेबपुर 4. खेलपुर नसरुल्लापुर 5. खानपुर 6. छापुर शेर अफगानपुर 7. सिसौना मुरतहकम 8. मंजावर 9. मकखनपुर महमूद आलमपुर मुरतहकम	25.00	2000	13000	27500	24500	9500	8500
8.	ज	1. ताशीपुर 2. हथियाथल	20.00	1800	12800	27000	24000	9500	8500
9.	झ	1. बेहडेकी सैदाबाद	18.00	1600	12600	27500	24500	9500	8500



परगना रुडकी के ग्रामीण क्षेत्र की दरें

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति वर्ग (रु०प्रति मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु०प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)
1.	क	1. धनौरी	14.00	2500	13500	40000	30000	9500	8500
2.	ख	1. पिरान कलियर	28.00	3500	14500	42000	32000	9500	8500
3.	ग	1. भीरपुर सिकन्दरपुर 2. कमालपुर सैनीबांस 3. रहमतपुर अहतमाल 4. भैसरहेड़ी मुस्तकहम 5. विचपड़ी 6. भरगुबपुर दीदाहेड़ी 7. रतनपुर 8. मिर्जापुर मुस्तफाबाद मुस्तकहम 9. डन्हेड़ी ख्वाजगीपुर 10. मूलदासपुर उर्फ माजरा 11. जमालपुर 12. कोट कलियर चक 1 13. कोट कलियर चक 2	14.00	1200	12200	24700	21700	9500	8500

		14. खटका मुस्तकहम 15. जौरासी मुस्तकहम 16. जबरदस्तपुर							
4.	घ	1. इमलीखेड़ा धर्मपुर	11.00	1000	12100	29200	21700	9500	8500
5.	ङ	1. गुम्मावाला 2. मुकर्रबपुर 3. बेरपुर 4. महमूदपुर 5. मेहवड कलां 6. मेहवड खुर्द उर्फ नागल 7. माजरी 8. रांघडवाला 9. बाजूहेडी 10. सोहलपुर मजरा बेलडा 11. सैदपुरा 12. गोपालपुर	8.00	850	11850	27600	20100	9500	8500
6.	च	1. कान्हापुर अहतमाल 2. अकबरपुर मु0 व जदीद मु0 3. टोडा कल्याणपुर अहतमाल 4. बंधेडी महावतपुर अहतमाल 5. जलालपुर अहतमाल 6. जौरासी अहतमाल 7. खटका अहतमाल	8.00	850	11850	25700	21200	9500	8500

		8. भारापुर जदीद मुस्तकहम 9. भौरी जदीद मुस्तकहम 10. उन्हेडी ख्वाजगीपुर जदीद मुस्तकहम 11. सिर्जापुर मुस्तफाबाद जदीद मुस्तकहम 12. शंसरहेडी अहतमाल 13. सुन्धारी 14. उन्हेडी 15. खटकी 16. मोहनपुर मजरा सालियर 17. मौ०अगीपुर उर्फ मल्हू मजरा मुस्तकहम 18. मौ०अगीपुर उर्फ मल्हू मजरा अहतमाल 19. मौहम्मदपुर पान्डा 20. रामपुर जदीद मुस्तकहम								
7.	छ	1. अब्दुल हसनपुर 2. अलमासपुर	6.50	750	11750	25600	21100	9500	8500	

परगना मंगलौर के ग्रामीण क्षेत्र की दरें

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु०लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु०प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	क	1. कासमपुर खुर्द 2. माहपुर 3. कमोरा 4. चक बरमपुर 5. बरमपुर 6. हरचन्दपुर 7. कदादपुर 8. बुडपुर जट 9. मन्नाखेड़ी 10. जैतपुर 11. सुसाडी खुर्द 12. सुसाडी कलां	14.00	1000	12000	25800	21300	9500	8500

13. सुसाडा							
14. हुडपुर चौहान							
15. नूरपुर							
16. खानमपुर कसौली							
17. हशामपुर							
18. शीलपुर							
19. कुमराडा	14.00	1000	12000	25800	21300	9500	8500
20. कुमराडी							
21. बसावाखेडी							
22. गजरौला							
23. मुन्देट							
24. बन्हेडा टाडा							
25. नाथूखेडी							
26. मुण्डलाना							
27. आमखेडी							
28. हरजौली जट							
29. सिकन्दरपुर मवाल							
30. नागला चीना							
31. कगावाली							

26

(खनीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार

32.	नसीरपुर अफजलपुर						
33.	मौहम्मदपुर जट						
34.	टिकौला कलां						
35.	जटहेडी	14.00	1000	12000	25800	21300	9500
36.	लहबोली						8500
37.	मखदूमपुर						
38.	सदौली						
39.	सदौला						
40.	झबीरन						
41.	राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधारोना						
42.	नगला ऐमाद						
43.	नगला सिकन्दर						
44.	नगला कोयल						
45.	नगला सलारु						
46.	नगला सकदू						
47.	नाहरपुर						
48.	निजामपुर						
49.	रायपुर						

50.	रसूलपुर निवारी						
51.	सैदपुरा						
52.	शेखूपुर						
53.	ठसका						
54.	उदलहेडी						
55.	उल्हेडी	14.00	1000	12000	25800	21300	9500
56.	उल्हेजा						
57.	अकबरपुर डाढकी						
58.	नारायणपुर						
59.	सलारपुर						
60.	टिकोला खुर्द						
61.	हज्जरपुर मुस्ताहकम						
62.	फलेउल्लापुर						
63.	खेमपुर						
							8500

2.	ख	1. अबुलहसनपुर उर्फ घिसरपडी 2. भिक्खर घोसपुर 3. बुक्कनपुर 4. गोपालपुर 5. नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा 6. सिक्खर 7. टोई 8. मुकीमपुर 9. हज्जरपुर अहतमाल 10. भगतोवाली मजरा झबरेडा							
			9.50	900	11900	25700	21200	9500	8500



परगना भगवानपुर के ग्रामीण क्षेत्र की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है०) (₹0लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (₹0प्रति वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹0 प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रविष्टि	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹0प्रति वर्गमी०)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1.	क	1. शाहपुर साल्तापुर 2. डेलना	15.00	1300	12300	30000	25000	9500	8500
2	ख	1. खालाखेड़ी 2. भगवानपुर जदीद मु० 3. शाहपुर जदीद मु० 4. सिर्सोना जदीद मु०	15.00	1500	12500	30000	25000	9500	8500
3.	ग	1. रसूलपुर 2. इकबालपुर कमेलपुर 3. पाइली गन्दा 4. सरकड़ी ताहरपुर 5. सुल्तानपुर साबतवाली 6. कवादपुर लोदीवाला 7. खडखडी दयाला 8. होसंगपुर	11.00	900	11900	30000	25000	9500	8500

9. हरजोली झोझा						
10. बाहिस्तीपुर						
11. साल्हापुर						
12. अहमदपुर सरवारकी						
13. झाबरेडी खुर्द						
14. अकबरपुर झोझा						
15. बल्लपुर मजरा हरजोली झोझा						
16. बाल्पुर						
17. छछरोली						
18. हरचन्दपुर माजरा	11.00	900	11900	30000	25000	9500
19. बिरसंगपुर						
20. महेसरी						
21. बिमारसी उर्क बुलेड						
22. बालेकी युसुफपुर						
23. अमरपुर काजी						
24. सुनेहटी आलापुर						
25. सिरचन्दी						
26. रूहालकी दयालपुर						
27. सरठेडी शाहजहांपुर						
28. कादरपुर						
29. शेरपुर						
30. मोहितपुर						
31. लाठरदेवा शेख						
32. बल्लपुर मजरा पनियाला चन्दापुर						

31

(रवनीत चौभा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार

4.	घ						
		1. समसपुर खुन्डेवाली					
		2. हीराहेडी					
		3. बिन्दूखडक					
		4. मोलना					
		5. मानकपुर आदमपुर	13.00	850	11850	26000	24000
		6. खजूरी					9500
		7. भलस्वागाज					
		8. फकरहेडी					
		9. कुंजा बहादरपुर					
5.	इ	1. चुडियाला मोहनपुर					
		2. अलावलपुर					
		3. काजीबांस मु०					
		4. लोदीवाला					
		5. फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	10.00	900	11900	25000	22000
		6. मानक मजरा					9500
		7. बहबलपुर हंसोवाला					
		8. अकबरपुर कालसो					
		9. बहावपुर छांगामजरी					
		10. दरियापुर दयालपुर मु०					
		11. सोहलपुर गाडा					
		12. सफरपुर					
		13. महमूदपुर					




4.	हसनपुर मदनपुर अह0					
5.	खेडी शिकोहपुर मु0					
6.	हसनावाला					
7.	बन्जारेवाला ग्रन्ट					
8.	शहीदवाला ग्रन्ट					
9.	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद					
10.	नौकराग्रन्ट					
11.	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला					
12.	मजाहिदपुर सतीवाला मजबता					
13.	मजाहिदपुर सतीवाला खालसा					
14.	लालवाला मजबता					
15.	लालवाला खालसा					
16.	लामग्रन्ट					
17.	सिकरोडा-1					
18.	सिकरोडा-2					
19.	कुतुबपुर ग्रन्ट					
20.	खेडली					
21.	हल्लूमजरा					
22.	धीर मजरा अह0					
23.	हबीबपुर निवादा					
24.	सोलाहेडी					




## सामान्य अनुदेशिका

1-	ग्रह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2-	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य सड़क की चौड़ाई एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि / सम्पत्ति की चौहददी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3-	<p><b>कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) कृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) कृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) कृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) 0.2 हेक्टेयर (2000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।</p>
4-	<p><b>अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>अकृषि भूमि / सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(1) अकृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) अकृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(3) अकृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(4) अकृषि भूमि 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर से दो गुना (200 प्रतिशत) होगा।</p>


  
 (रवनीत बीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

5-	<p><b>बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट का मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) बहुमंजिली इमारतों के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>
6-	<p><b>वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक चौड़े व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



	(3) भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(4) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु -उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेख पत्रों का मूल्यांकन लेख पत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।
8-	तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 2000 वर्गमीटर से अधिक भूमि सयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 2000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।
9-	किसी विलेख पर स्टाप शुल्क की प्रमायता या उस पर प्रमाय शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
10-	औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
11-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष/भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी सलनन है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, दस वर्ष तक के भवन निर्माण पर क्षरण देय नहीं होगा।
12-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
13-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर '800/-' प्रति रनिग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
14-	भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर मूल्यांकन '20,000/-' की दर से होगा।
15-	तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।


  
(रवनीत चौधरी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

16-	तहसील रुड़की में औद्योगिक भूमि का अन्तर्ण होने की दशा में मूल्यांकन सूची के कॉलम (4) में क्षेत्रवार निर्धारित अकृषि दरें प्रभावी होंगी। तथा औद्योगिक इकाई (निर्मित) के अन्तर्ण होने के दशा में मूल्यांकन सूची के कॉलम (5) हेतु क्षेत्रवार निर्धारित दरें प्रभावी होंगी। उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गावनेसेट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
17-	मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होंगी।
18-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
19-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती हैं तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

### क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-289 / XVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून दिनांक:-28.10.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के उप जिला लक्सर के उप निबन्धक कार्यालय में नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तर्ण हेतु न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक:-01 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होंगी।



(डी० सँस्थल पाण्डित्यन)

आई०ए०एस०

कलक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलक्टर, हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1:-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
- 2:-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3:-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4:-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5:-जिला स्टाम्प अधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6:-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7:-सब रजिस्ट्रार लक्सर।
- 8:-उप जिलाधिकारी लक्सर।
- 9:-तहसीलदार लक्सर।



(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।



(डी० सँस्थल पाण्डित्यन)

आई०ए०एस०

कलक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय उप निबन्धक लक्सर हरिद्वार।

### नगरीय क्षेत्र


क्र० स०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base rate)					
			भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	बहु मंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (सेमी एकका/ कच्चा)
1	क	3	4	5	6	7	8	9
1		(1) हरिद्वार रुडकी तिराहे से हॉली कास स्कूल तक दोनो ओर (2) रेलवे फाटक लक्सर सब्जी मण्डी, से पुराने पप्पू नर्सिंग होम तक दोनो ओर और मेन बाजार लक्सर।	9100	20000	39100	36100	10000	8000
2	ख	(1) पुराने पप्पू नर्सिंग होम से लक्सरी पुलिसा तक दोनो ओर (2) होली क्रास से गंगोली तक दोनो ओर (3)गोरखनपुर तिराहे से बालावाली रोड पर तहसील मोड से अकोला मन्दिर तक दोनो ओर (4)रेलवे फाटक से सोसायटी रोड तक होते हुए रेल मार्ग से सट खडजां मार्ग पर अन्त तक दोनो ओर (5) मेन बाजार (वार्ड नं० 06)	7500	20000	37500	34700	10000	8000
3	ग	(1)सोसायटी रोड मोड से सैट थांसस स्कूल से पूर्व दिशा में जुनियर/हाईस्कूल एवं तहसील होकर रायसी मोड तक दोनो ओर, तहसील के दक्षिण घूम से सोसायटी होते हुए इण्टर कालेज तक के दोनो ओर , पश्चिम दिशा में बालावाली तिराहे तक जाने वाली सड़क तक दोनो ओर (2) रेलवे फाटक से पश्चिम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक दोनो ओर (4) सीमली (वार्ड नं० 02) (5) शिवपुरी (वार्ड नं० 03) (6)लक्सरी (वार्ड नं० 04 (7) आदर्श कालोनी (वार्ड नं० 05 ) (8) आजाराद नगर(वार्ड नं० 08)	4500	20000	34500	31500	10000	8000

(रकमीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

4	घ	(1) केशव नगर (वार्ड नं० 09) (2) मेन बाजार से निकलने वाली बसेडी रोड ग्राम बसेडी तक दोनों ओर।	4000	20000	34000	31000	10000	8000
5	ङ	(1) लक्सरी पुलिसा से बहादरपुर होते हुए रुडकी रोड तक दोनों ओर (2) वार्ड नं०-2 नरोजपुर जाने वाली माल गोदाम रोड, रेलवे फाटक लक्सरी से ग्राम नरोजपुर तक दोनों ओर (3) अरबेडकर नगर (वार्ड नं० 01 ) (4) लक्सर पूर्वा (वार्ड नं० 07 )	3500	20000	33500	30500	10000	8000

नोट :- नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि की दर रू० 60,00,000.00 प्रति हैक्टेयर देय होगी।

  
 (रवनीत चीमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र


क्र० स०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व स्वर ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०)	भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्ग मीटर)	बहु मंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (Base rate)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
						वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोरा)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोरा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	(1) लक्कर (2) लक्करसी	1900000	2200	15000	32200	29200	10000	8000
2	ख	(1) अकोटा और राजोवपुर (2) नसरुल्लापुर (3) बसेडी खादर	1800000	2000	15000	32000	29000	10000	8000
3	ग	(1) शेखपुरी	1700000	2200	15000	32200	29200	10000	8000
4	घ	(1) बहादरपुर खादर	1700000	1300	15000	31300	28300	10000	8000
5	ङ	(1) केहडा	1900000	1700	15000	31700	28700	10000	8000
6	च	(1) सीमली	2000000	1800	15000	31800	28800	10000	8000
7	छ	(1) नरोजपुर (2) मुटकाबाद	1700000	1000	15000	31000	28000	10000	8000
8	ज	सलेमपुर बक्काल	1800000	1750	15000	31750	28750	10000	8000
9	झ	(1) पुन्हेरपुर उर्फ पीपली (2) नगला खिताव (3) रायपुर (4) सेठपुर	1500000	900	15000	30900	27900	10000	8000

(रवनीत चीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

10	अ	<p>(1) ग्राम बसेडी खादर में ग्राम की प्रारम्भिक सीमा से ग्राम की अन्तिम सीमा तक रुडकी रोड पर व सेठपुर रोड पर सेठपुर ग्राम तक सेठपुर की सडक पर सडक के दोनो ओर 300 मीटर तक दोनो ओर</p> <p>(2) लक्सर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर टिककमपुर से कुन्हारी तक दोनो ओर</p> <p>(3) तहसील लक्सर में रुडकी रोड पर भरत कालोनी (थाना मोड लक्सर) सिंह एनकलेव, आदि अन्य विकसित कालोनीयों हेतु यही दरें प्रभावी होंगी (मुख्य मार्ग की दरों से भिन्न दरें) तक दोनो ओर</p>	2000000	5500	15000	35500	32500	10000	8000
----	---	---	---------	------	-------	-------	-------	-------	------

  
 (रवनीत चौगमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## ग्रामीण क्षेत्र

क0 स0	प्रमुख मार्ग /मौ इल्ल य/ राज स्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग /मौहल्लो/ राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य दर (Base rate)						
			कृषि भूमि (प्रति हे0)	भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मीटर)	बहु मंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	(1)इन्दरीशपुर(2)बादशाहपुर(3)चखरी (4)कलसिया(5)माडाबेला(6)चन्द्रपुरी ख़ादर(7)शेरपुर बेला(8)शरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर(9)गिद्धावाली(10)दूधला (11)कवलपुर(12)दल्लावाला(13)झीवरहेड़ी (14)बानूवाला, (15)मुजफ्फरपुर गुजरा जदीद (16)फतवा अहतमाल(17)गंगादापुर मुस्तहकम एवंअहतमाल(18)सहीपुर(19)मथाना (20)मदारपुर(21)आलमपुर(22)याहियापुर (23) शाहपुर (24)पोडोवाली(25)रुहालकी (26)इब्राहिमपुर (27)करणपुर(28) रघुनाथपुर उर्फ बालावाली (29) मसरपुर उर्फ कपुरे	400000	1100	13000	22100	19100	10000	8000
2	ख	(1) प्रहलादपुर (2) फतवा मु0. (3) जसपुर रणजीतपुर मुस्तहकम एवं अहतमाल (4) महाराजपुर खुर्द (5) रामपुर रायघटी मुस्तहकम एवं अहतमाल (6) शिवपुरी मुस्तहकम एवं अहतमाल,	500000	1100	13000	22100	19100	10000	8000

*(हस्ताक्षर)*


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।




4	घ	1) तुगलपुर (2) राजपुर (3) महाराजपुर कला (4) बाकरपुर (5) तालकन्धवाला (6) भोवावाली (1) रायसी (2) हबीबपुर कुडी (3) गोखनपुर (4) खानपुर/पर0 गोखनपुर (5) निरंजनपुर (6) अलावलपुर (7) फिजापुर उर्फ मोहनावाला (8)निरंजनपुर में चमनलाल आदि से बीर सिंह प्रमुख के खेत तक सड़क के दोनो ओर 200 मीटर तक दोनो ओर (9) शिककमपुर में चौराहे से रामपुर रायघटी, फतवा व अलावलपुर एवं बाकरपुर जाने वाली सड़क पर सड़क के दोनो ओर 200 मीटर तक दोनो ओर	700000	1100	13000	22100	19100	10000	8000
5	ङ		750000	1400	13000	22400	19400	10000	8000
6	च	(1) खडंगा कुतुबपुर (2) बुकनपुर (3) अकौवा मुकरमतपुर (4)जैतपुर (5) जलाल भाजरा (6) कुडी (7) खेडी खुर्द (8) मुण्डाखेडा कलां (9) सुखी चक (10) हिरनाखेडी (11) तिघरी (12) फतेहपुर जुनार (13) फतेहपुर चमार (14) ईस्माईलपुर (15) मुबारिकपुर (16)भुरनीखतीरपुर (17) दाबकी कलां (18) बिजोपुरा (19) डाढकी ठाणा मजाहिदपुर मुस्तहकम (20) कासमपुर निवादा मुस्तहकम (21) कुआखेडा मु0 (22) तादपुर कलां मुस्तहकम (23)महेषरी (24) मखियाली खुर्द (25)मुबारिकपुर अलीपुर (26) रजबपुर (27) बककाल मुस्तहकम (28) मखियाली कलां (29) नसीराबाद (30) सीघडू (31)भुरना (32) दाबकी खुर्द (33) खेडी मुबारिकपुर (34) स्थल बुजुर्ग (35)बसेडा खादर (36)मुण्डाखेडा खुर्द, (37) मौहम्मदपुर बुजुर्ग अह0, (38)डौसनी,(39) हुसैनपुर,(40) बूडवा खेडा मीमला	850000	1200	13000	22200	19200	10000	8000

(स्वनीत चीमा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

7	उ	(1) अकबरपुर उद (2) सुल्तानपुर आदमपुर	1500000	1600	13000	22600	19600	10000	8000
8	ज	(1) तहसील लक्सर में पुरकाजी रोड पर उत्तराखण्ड की सीमा तक सुखपाल इन्कलेव एवं विष्णु विहार फेस प्रथम व द्वितीय आदि अन्य विकसित कालोनियाँ हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी) तक दोनो ओर (2) तहसील लक्सर में हरिद्वार रोड पर वसुन्धरा एनकलेव , गंगा विहार , सुखदेव एनकलेव , आदि अन्य विकसित कालोनियाँ हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी) तक दोनो ओर (3) रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सर रोड पर। (4) गोखानपुर/प्रहलादपुर में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र के दोनो ओर । (5) खानपुर ग्राम में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र के दोनो ओर । (6) हरिद्वार लक्सर मार्ग से नेहन्दपुर सुवारी मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज तक, सुल्तानपुर में जामा मस्जिद से छोटी मस्जिद तक दोनो ओर	2000000	2900	13000	22900	19900	10000	8000

  
 (रवनीत चौभा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार ।

9	अ	(1) लक्सर भेटाडोर स्टैन्ड चौक से रुडकी की ओर थाना मोड तक सडक के दोनो ओर (मुख्य मार्ग की दरो से भिन्न दरे) (2) रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सर बालावाली रोड से रेलवे स्टेसन तक दोनो ओर । (3) हरिद्वार रोड पर लक्सर भेटाडोर अड्डे से ग्राम टिककमपुर की सीमा तक दोनो ओर ।	1100000	4200	13000	25200	22200	10000	8000
10	अ	(1)गंगौली,	1400000	1200	13000	22200	19200	10000	8000

  
 (रवनीत चौमा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार ।

## सामान्य अनुदेशिका

1-	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2-	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य सड़क की चौड़ाई एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3-	<p><b>कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) कृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) कृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) कृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) 0.2 हैक्टेयर (2000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।</p>
4-	<p><b>अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>अकृषि भूमि / सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(1) अकृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(2) अकृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(3) अकृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(4) अकृषि भूमि 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर से दो गुना (200 प्रतिशत) होगा।</p>

  
(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

5-	<p><b>बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-</b></p> <p>(1) बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट का मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) बहुमंजिली इमारतों के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>
6-	<p><b>गाण्डिज्यक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) :-</b></p> <p>(1) गाण्डिज्यक भवन में स्थित दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p> <p>(2) दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-</p> <p>(क) दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ख) दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(ग) दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक चौड़े व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p> <p>(घ) दुकान/गाण्डिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।</p>



(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

	(3) भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कानर पर स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(4) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु -उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेख पत्रों का मूल्यांकन लेख पत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।
8-	तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 2000 वर्गमीटर से अधिक भूमि समुंक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 2000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा केतागण के मध्य पित्त, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।
9-	किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
10-	औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
11-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष/भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी सलान है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, दस वर्ष तक के भवन निर्माण पर क्षरण देय नहीं होगा।
12-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
13-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹800/- प्रति सेंनिग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
14-	भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर मूल्यांकन ₹20,000/- की दर से होगा।
15-	तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।
16-	ब्लाक खानपुर के अन्तर्गत स्थित भूमि के औद्योगिक प्रयोजन हेतु कय करने पर ₹0 2,200.00 प्रति वर्ग मीटर एवं ब्लाक लकसर के अन्तर्गत स्थित भूमि के औद्योगिक प्रयोजन हेतु कय करने पर ₹0 3,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर देय होगी।

(रवनीत श्रीमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

17-	किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एग्ल्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
18-	मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
19-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्यक्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
20-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

### क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(रवनीत चौमा)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।